

धारा 167 : शक्तियों का प्रत्यायोजन

आयुक्त, अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हैं, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकरण या कार्यालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई शक्ति, ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले किसी और प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी।
